

निगरानी धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर.

१- गोविन्दराव पिता शंकरलालजी पाण्डे,
२६, मारुतीपुरा, धार

२- श्रीमती गीताबाई बेवा नीलकंठराव,
निवासी धार

३- गणेश पिता नीलकंठराव,
निवासी धार

४- मुकुन्दराव पिता श्री रामकृष्ण पाण्डे,
निवासी बेटमा

५- श्रीमती चन्द्रकान्ताबाई बेवा विश्वनाथ पाण्डे,
निवासी राजगढ़

६- विजय कुमार पिता विश्वनाथ पाण्डे,
निवासी राजगढ़

७- कमल कुमार पिता विश्वनाथ पाण्डे,
निवासी सदर

८- विलीप कुमार पिता विश्वनाथ पाण्डे,
निवासी सदर

९- रमाकान्त पिता रामकृष्ण पाण्डे,
निवासी देवास

१०- मनमोहन पिता रामकृष्ण पाण्डे,
निवासी बेटमा

११- नारायण पिता रामकृष्ण पाण्डे,
निवासी राजगढ़

१२- श्रीमती मनीरमा बेवा श्रीधर पाण्डे,
निवासी हर्जिकल्या, जिजा धार

१३- भारत भूषण पिता श्रीधर पाण्डे,

andam

142
13-5-31

धारा 50 के तहत
निगरानी धारा 50 के तहत
13-5-31
अधीनस्थ

67- I
10691
10691
10691

१५- त्रिलोकीनाथ पिता श्रीधर पाण्डे,
निवासी मौघाल

--- प्राथीगण.

वि रु द्ध.

- १- कौकसिंह पिता कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ५० वर्ष, निवासी बिजूर, जिला धार
- २- मौजराज पिता कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ५० वर्ष, निवासी सदर
- ३- दुलेसिंह पिता कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ४० वर्ष, निवासी सदर
- ४- चतरसिंह पिता कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ३५ वर्ष, निवासी सदर
- ५- शंकरसिंह पिता कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ३३ वर्ष, निवासी सदर
- ६- श्रीमती सुहागबाई बेवा कन्हैयालाल राजपूत,
उम्र ७० वर्ष, निवासी सदर
- ७- श्रीमती कमलाबाई बेवा जयराम,
उम्र ३५ वर्ष, निवासी सदर
- ८- सेवसिंह पिता जयराम, अज्ञान तर्क पालनकर्ता
कमलाबाई बेवा जयराम, निवासी सदर
- ९- राधाबाई ब पिता जयराम,
अज्ञान तर्क पालनकर्ता कमलाबाई बेवा जयराम,
निवासी सदर
- १०- श्रीमती कमलाबाई पाण्डे बेवा बालकृष्ण पाण्डे,
निवासी धार
- ११- सुरेश पिता बालकृष्णजी पाण्डे,
निवासी धार
- १२- रमेशचन्द्र पाण्डे पिता बालकृष्ण पाण्डे,
निवासी धार
- १३- महेशचन्द्र पाण्डे पिता बालकृष्णजी पाण्डे,
निवासी धार

--- पुरथाप्रीगण.

अज्ञ

((३))

श्री बी० एन० शरण, अतिरिक्त आयुक्त, हन्दीर
द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ४२५।८३-४८४ में दिनांक ८-३-६९
को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्राथमिक यह निगरानी निम्न-
लिखित आधारों पर प्रस्तुत करते हैं। प्रथम अपील श्री अनुविभागीय
अधिकारी, मनावर कुदाी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक ५३।६९ में
दिनांक २६-४-६६ में पारित आदेश के विरुद्ध की गई थी। मूल
प्रकरण क्रमांक ५।३३।५६ श्री तहसीलदार, धार द्वारा दिनांक -
११-७-६० को निर्णित किया गया।



गौरीदास (म) कोठारे
R 112-I/91 emr

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>19-8-2015</p>	<p>आवेदकगण की ओर से कोई उपाखित नहीं। अनावेदक अर्थात् 1 से 9 की ओर से श्री विद्यात होल्डिंग अभिभावक उपाखित। आवेदकगण की ओर से दिनांक 18.12.2007 को श्री दीपक बर्म अभिभावक उपाखित हुए हैं। उसके उपरांत आज दिनांक तक लगभग 7 वर्ष से भी अधिक समय अतीत होने के उपरांत कोई भी उपाखित नहीं हुआ है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रकरण के निराकरण में कार्य नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>Muller</i> 19/8/15</p>

अक्षय

अध्यक्ष